

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं.07/2023
दिनांक 24 मई, 2023


विषय: एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है;

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 40 00	केवल टूटे हुए चावल हेतु	निषिद्ध	निर्यात भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदान की गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर अनुमत होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

टूटे हुए चावल की निर्यात नीति निषिद्ध है; तथापि, निर्यात भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रदान की गई अनुमति के आधार पर और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर अनुमत होगा।


(संतोष कुमार सारंगी)
24.5.2023

महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/35/एएम-20/ई-फाइल/पार्ट-I/ई-19680 से जारी)